

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

—:: नीलामी की सूचना ::—

क्रमांक ⁴⁵⁴⁰...../तीन-3-7/2007 जबलपुर, दिनांक-23...दिसम्बर, 2021

जिला न्यायालय जबलपुर का निम्नलिखित वाहन जहां जिस स्थिति में है, की बिक्री दिनांक ~~22-11-22~~ को सुबह ~~11:00~~ बजे नवीन जिला न्यायालय भवन, जबलपुर के परिसर में खुली नीलामी द्वारा किया जाना है। अतएव संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु विहित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकते हैं:-

—:: वाहन का विवरण ::—

वाहन क.	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित प्राईस	विभाग का नाम	चेचिस नं.	इंजन नं.
MP02HC 0214	2011	टाटा इंडिगो कार	70,000/-	कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	MAT613 204BLA0 0010	323B6600 7077540
MP02AV 1898	2007	टाटा इंडिगो कार	34,000/-	कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	601256L SZPE880 8	4755151L SZPF6327

इच्छुक व्यक्ति अपने वैधानिक पहचान पत्र के साथ नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित आवश्यक शर्तों की जानकारी जिला न्यायालय जबलपुर के बोर्ड व कार्यालय से ली जा सकती है।

वास्तु-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

o/c

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

--: नीलामी की शर्तें ::--

क्रमांक ⁴⁵⁴¹...../तीन-3-7/2007 जबलपुर, दिनांक-²³.....दिसम्बर, 2021

1. इस स्थापना में उपलब्ध शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02एच.सी. 0214 एवं शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02ए.व्ही. 1898 नवीन जिला न्यायालय प्रांगण में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। कार्यालय समय में कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
2. वाहन नीलामी हेतु 5,000/- (अंकन-पांच हजार रूपए मात्र) अमानत राशि जिला नाजिर के पास नीलामी के एक दिन पूर्व जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा।
3. वाहन जहां है, जिस स्थिति में है, विक्रय किया जावेगा।
4. अमानत राशि जमा करने की मूल रसीद के साथ ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
5. उच्चतम बोली स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा।
6. बोली स्वीकार होने पर तत्काल एक मुश्त राशि संबंधित विभाग के पास जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
7. बोली की राशि समय पर न जमा करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. बोली स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर को होगा।
9. दिनांक ~~22/01/2022~~ को नीलामी कार्यवाही पूर्ण न होने की दशा में नीलामी अगले दिनों में भी निरंतर चालू रहेगी।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

o/c